



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-26102026-277422
CG-MH-E-26102026-277422

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5552]
No. 5552]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 23, 2026/कार्तिक 1, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 23, 2026/KARTIKA 1, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

संशोधित अधिसूचना

मुंबई, 23 अक्टूबर, 2026

यह अधिसूचना दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का अ.5577 का अधिक्रमण करती है। (अ)

का.आ. 5769(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए के उपखंड(I) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन) की अधिसूचना सं. 498 (अ) दिनांक 19.06.2026 में प्रकाशित में विनिर्दिष्ट भूमि को गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में मियागाम करजन – लाकोदरा फ्लाई ओवर परियोजना नाम की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय की घोषणा की गई थी;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ए की उप-धारा (4) के अधीन स्थानीय गुजराती दैनिक समाचारपत्र “दिव्य भास्कर” में दिनांक 25.06.2026, तथा स्थानीय दैनिक समाचारपत्र “इंडियन एक्सप्रेस” में दिनांक 25.06.2026 को प्रकाशित किया गया था; और, सक्षम प्राधिकारी को जो भी कोई आक्षेप प्राप्त हुए थे उनको हल कर दिया गया है। और, सक्षम प्राधिकारी, करजन ने उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप-धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर रेल अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इसमें उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित कि जाएगी ;

और, आगे, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उप धारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार यहां घोषणा करती है की आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर इसके साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूरी तरह से सभी बाधाओं से मुक्त होकर केंद्र सरकार हस्तक हो जाएगी ।

अनुसूची

विषय : गुजरात राज्य में मियागाम करजन लाकोदरा फ्लाई ओवर – परियोजना नामक विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : गुजरात

ज़िला : वडोदरा

क्रमांक	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूमि मालिक/इच्छुक व्यक्ति का नाम
गाँव : वडवा			तालुका: करजन		
1	54	निजी	कृषि	682	पटेल हिरेनकुमार परसोतमभाई आदि
2	56	निजी	कृषि	2555	पढियार भावनाबेन अजितसिंह
3	68	निजी	कृषि	4801	दादूभाई रणछोड़भाई पढियार
4	69	निजी	कृषि	4864	राजपूत शानाभाई शंकरभाई
5	91 (91/1,91/2)	निजी	कृषि	2150	जैन पिकुबेन, रश्मिकांत नटवरलाल की बेटी और शाह विनयकुमार हर्षदकुमार की पत्नी आदि
6	90	निजी	कृषि	2790	मोरी काशीबेन रामसंग, आदि
7	99	निजी	कृषि	2790	अशोकभाई जीनाभाई
8	98	निजी	कृषि	4428	पठियार रणजीतसिंह उदेसिंह
9	219	निजी	कृषि	731	पटेल इंदिराबेन मंगुभाई आदि
10	223	निजी	कृषि	688	7/12 के अनुसार
11	216	निजी	कृषि	3761	नकराणी विपुलभाई वलजीभाई
12	143	निजी	कृषि	12537	पठान रसीदाबेन मुहम्मद खान आदि
13	145	निजी	कृषि	2260	पठान रसीदाबेन मुहम्मद खान आदि
14	144	निजी	कृषि	5622	7/12 के अनुसार
15	131	निजी	कृषि	11334	तृप्ति शैलेश शाह नानालाल मोहनलाल दोशी की विवाहित बेटी हैं
16	133 (133/A)	निजी	कृषि	506	मीनाबेन जीतेन्द्रसिंह सोलंकी आदि
17	/100B 1/	निजी	कृषि	1239	7/12 के अनुसार
18	132	निजी	कृषि	1239	दवे बालमुकुंद लक्ष्मीशंकर आदि

19	129	निजी	कृषि	2912	राजेन्द्रभाई रावजीभाई आदि
20	141	निजी	कृषि	3641	7/12 के अनुसार
			कुल	71530	
गाँव : लाकोदरा			तालुका: करजन		
1	800/A (800/1, 800/2, 800/3)	निजी	कृषि	1845	गोहिल सुरसंग भगवान, गोहिल कनुभाई छत्रसंग, भानुबेन नटवरभाई गोहिल आदि
2	"244 (244/p1, 244/p2, 244/p3)"	निजी	कृषि	2860	गोहिल जीवीबेन रायसंग, गोहिल सविताबेन रायसंग, मणिबेन मानसंगभाई गोहिल आदि
3	369	निजी	कृषि	2832	पठान अल्लाफखा रसूलखान आदि
			कुल	7537	

[फा. सं. E.- 590831-08]

तरुण डंडोतिया, मुख्य इंजीनियर -(निर्माण)II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

CORRIGENDUM NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd October, 2026

This notification supersedes the notification S.O. 5577 (E), published on 12th October 2026

S.O. 5769(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) (Published in the Gazette of India, under notification No.498(E) of dated **19.06.2026** Extra Ordinary- part II- Section-3 -Sub-section (i) (here in after referred to as the said notification under subsection(I) of section 20A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to be acquired the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project namely, Miyagam Karjan – lakodra Fly Over Project in District Vadodara in the State of Gujarat.

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local newspaper “Divya bhaskar” dated 25th June 2026 and “The Indian Express” dated 25th June 2026 under subsection (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, objection has been received & resolved by the competent authority.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of section 20E of the said Act, the competent authority Dabhoi & Savali has submitted its report of the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central government here by declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely:
Miyagam Karjan-Lakodra Fly Over Project in District Vadodara in the state of Gujarat.**

State : GUJARAT

District : Vadoadara

SR NO	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area of Land (in Sqm.)	Name of Land Owner/Interested Person
Village : Vadva			Taluka: Karjan		
1	54	Private	Agriculture	682	Patel hirenkumar parsotambhai aadi
2	56	Private	Agriculture	2555	Padhiyar bhavnaben ajitasingh
3	68	Private	Agriculture	4801	Dadubhai ranchodbhai padhiyar
4	69	Private	Agriculture	4864	Rajput shanabhai shankarbhai
5	91 (91/1,91/2)	Private	Agriculture	2150	Jain pinkuben, rashmikant natwarlal ki beti aur shah vinaykumar harshadkumar ki patni aadi
6	90	Private	Agriculture	2790	Mori kashiben ramsang, aadi
7	99	Private	Agriculture	2790	Ashokbhai jeenabhai
8	98	Private	Agriculture	4428	Pathiyar ranjitsingh udesingh
9	219	Private	Agriculture	731	Patel indiraben mangubhai aadi
10	223	Private	Agriculture	688	According to 7/12 extract
11	216	Private	Agriculture	3761	Nakrani vipulbhai valjibhai
12	143	Private	Agriculture	12537	Pathan rasidaben muhammad khan aadi
13	145	Private	Agriculture	2260	Pathan rasidaben muhammad khan aadi
14	144	Private	Agriculture	5622	According to 7/12 extract
15	131	Private	Agriculture	11334	Tripti shailesh shah nanalal mohanlal doshi ki vivahit beti han
16	133 (133/A)	Private	Agriculture	506	Minaben jitendrasingh sodlanki aadi
17	100/B/1	Private	Agriculture	1239	According to 7/12 extract
18	132	Private	Agriculture	1239	Dave Balmukund Lakshmishankar etc.
19	129	Private	Agriculture	2912	Rajendabhai Raojibhai etc
20	141	Private	Agriculture	3641	According to 7/12 extract

			Total	71530	
Village : Lakodra			Taluka: Karjan		
1	800/A (800/1, 800/2, 800/3)	Private	Agriculture	1845	Gohil sursang bhagwan, Gohil kanubhai chhatrasang, bhanuben natwarbhai Gohil etc
2	"244 (244/p1, 244/p2, 244/p3)"	Private	Agriculture	2860	Gohil jiviben raiceng, Gohil savitaben raysang, maniben mansangbhai Gohil etc
3	369	Private	Agriculture	2832	pathan altafakha rasulakhan etc
			Total	7537	

[F. No. E.- 590831-08]

TARUN DANDOTIYA, Chief Engineer (Const)-II